संक्षिप्त

स्वाधीनता दिवस समारोह आज

टोंक। स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह शुक्रवार को पुलिस लाइन ग्राउण्ड में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि जलदाय एवं भूजल मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ध्वजारोहण करेंगे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि पुलिस लाइन ग्राउण्ड में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद सलामी एवं राष्ट्रधुन, परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, राज्यपाल महोदय का संदेश पठन, वीरांगनाओं का सम्मान, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक झलकियां, योगा ड्रिल, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउण्ड में पब्लिक बनाम प्रशासन के मध्य क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

'तिरंगा' यात्रा निकाली

जहाजपुर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उपखंड प्रशासन की ओर से 14 अगस्त गुरुवार को राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस जवानों ने रैली निकाली

टोंक । हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप 15 अगस्त तक जिलेभर में विभिन्न देशभक्ति आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से शुरू हुई बाइक रैली में पुलिस के जवानों ने भाग लिया।

- हर घर तिरंगा अभियान उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को जन-जन तक पहुंचाना है

इसके बाद पुलिस के जवानों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली। इस दौरान सीईओ परशुराम धानका, कोषाधिकारी हरीश लालावत, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही, इस अवसर पर हम देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करें।

टोंक में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जवानों ने तिरंगा रैली निकाली।

सीएम ने दिव्यांश को दिया सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड

जयपुर/जोधपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर मेहरानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय एट-होम समारोह में आवां (टोंक) सरपंच दिव्यांश एम.भारद्वाज को राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया। दिव्यांश राज्य के 41 जिलों की 11 हज़ार 341 पंचायतों में सम्मान पाने वाले एक मात्र सरपंच हैं।

स्विट्जरलैंड से एमबीए करके सरपंच बने दिव्यांश ने आवां में जो विकास कराया, वह राज्य में अव्वल हैं। आवां मॉडल को महाराष्ट्र अपना रहा हैं। आवां में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग एसी व इंटरनेट युक्त लाइब्रेरी, दो हैरिटेज श्मशान घाट, हैरिटेज पंचायत घर, बैंक्वेट हॉल युक्त मैरिज गार्डन और राजकलेश्वर तीर्थ पर ड्रेसिंग रूम युक्त घाट शायद ही देश के किसी गांव में हो। छात्रों को हवाई यात्रा और बालिका दिवस पर एक छात्रा को सरपंच बनाने जैसे अभूतपूर्व कार्यों के आधार पर ही दिव्यांश को यह सम्मान मिला।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एट-होम समारोह में आवां (टोंक) सरपंच दिव्यांश एम.भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया।

'भिवाड़ी से कजारिया तक 6 लेन रोड का होगा निर्माण'

भिवाड़ी उद्योग मेला व प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ व तिजारा विधायक महंत योगी बालक नाथ ने किया।

भिवाडी। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अठासर है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान औद्योगिक और निवेश क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह बात उन्होंने गुरुवार को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, भिवाडी तथा लघु उद्योग भारती, भिवाडी के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 19, 20 एवं 21 सितम्बर 2025 को भिवाडी में राष्ट्रीय स्तर का इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (उद्योग मेला एवं प्रदर्शनी) का कर्टेन रेजर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, पथरेड़ी (भिवाडी) में उद्घाटन के अवसर पर कही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी द्वारा रखे प्रस्ताव पर भिवाड़ी से कजारिया तक लंबे चार-लेन मार्ग को छह-लेन में बदलने की घोषणा की ओर उन्होंने भिवाडी को इंडस्ट्रियल गेटवे टू राजस्थान बताते हुए कहा कि उम्मीद, दृढ संकल्प एवं अवसर से मिलकर ही उद्योग का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि भिवाडी और राजस्थान के औद्योगिक केंद्र प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपनों को साकार कर रहे हैं। यह स्थानीय एमएस एम ई सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगा।

आम-सूचना सूरज कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह, उम्र-73 वर्ष, निवासी-90, करणी विहार-बी, बद्धारणा, जयपुर, हाल निवासी-गांव लंगोड, जिला-नागोर (राजस्थान) ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना शिव विहार स्थित बमरू वर्ल्ड, जयपुर के भूखण्ड संख्या-82 क्षेत्रफल 133.3 वर्गगज के डुपलीकेट दस्तावेज हेतु आवेदन किया, साथ ही भूखण्ड के खरीद सम्बन्धि दस्तावेजात, मूल दस्तावेजात की फोटो प्रतियों, शपथ पत्र, बन्ध पत्र व पुलिस रपट समिति कार्यालय मे प्रस्तुत किये गये तथा उक्त भूखण्ड के डुपलीकेट दस्तावेजात हेतु समिति को कहा गया है। यदि उक्त भूखण्ड के डुपलीकेट दस्तावेजात के सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय मे या मेरे कार्यालय मे उक्त सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि मे सम्पर्क करे अन्यथा समिति द्वारा उक्त भूखण्ड के डुपलीकेट दस्तावेज जारी कर दिये जायेगे, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नही होगा।
(हेमन्त कुमार पल्लोड) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

PUBLIC NOTICE
Bajaj Auto Credit Limited, having its registered office at Mumbai- Pune Road, Akurdi, Pune-411035, hereby informs its customers and concerned, that its office located at Bajaj Auto credit Limited Katewa Tower, 3rd Floor, B-91, Gautam Marg, Vaishali Nagar Jaipur-302021 will be shifting to new premises which is located at Bajaj Auto Ltd. "Eminence Tower- 3rd and 4th floor Girmar Colony, Gandhi path, Vaishali Nagar Jaipur- 302021" with effect from 20 November 2025.
Date: 14-08-2025
Place: Jaipur

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा / उपा./ जोन-14/2025/डी-2411 दिनांक 14/8/20
प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन
आवेदक श्री अजय गगंवाल पुत्र श्री अनुप चंद गगंवाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना साउथ ग्रीन्स, ग्राम मानपुर नांगल्या तह सांगानेर के भूखण्ड संख्या आर.एफ.-1 क्षेत्रफल 1882.09 वर्गगज का आवासीय फ्लैट प्रयोजनार्थ से होटल (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के कम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय फ्लैट प्रयोजनार्थ से होटल (पर्यटन इकाई) किया जाना प्रस्तावित है। यदि उक्त आवेदन/भू-उपयोग परिवर्तन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस की अविध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-14, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 14/8/2025 को जारी की गई है।
उपायुक्त जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नाम परिवर्तन
मैं प्रतिभा वशिष्ट पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी 76-ए, सहकार नगर खातीपुरा, रोड, झोटवाड़ा, जयपुर मैंने मेरा नाम प्रतिभा शर्मा से बदलकर प्रतिभा वशिष्ट रख लिया है भविष्य मुझे प्रतिभा वशिष्ठ के नाम से जाना पहचाना जावें।
मैं आभा सिंह राठौड़ पुत्री IC-38179 स्व. कैप्टन राजेन्द्र सिंह राठौड़ हूं। मेरे पिता की सर्विसबुक में गलती से मेरा नाम आभा राठौड़, जन्मतिथि 22.8.1986 दर्ज है। जबकि सही नाम आभा सिंह राठौड़ जन्मतिति 22.8.1987 है। भविष्य में मुझे एफिडेविट (862) 13.8.2025 के आधार पर सही नाम, जन्मतिथि से जाना जाए।
मैंने अपना नाम ज्योति खटवानी से बदलकर ज्योति मामनानी पत्नी विजय मामनानी कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जायेगा, पता ई-107, स्वर्णकार कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर, 302016
मैंने अपना नाम जितेन्द्र कुमार कलवानी से बदलकर जितेन्द्र कलवानी कर लिया है, जितेन्द्र कलवानी पुत्र श्री रेवानंद कलवानी निवासी-55, राम विहार, कुण्ड रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।
I have changed my name from Manish Kumar Daulani to Manish Daulani for all purposes R/o K E 12 Tiwari ji ka hatha Near panchayati dharamshala Station road Jaipur
मैंने अपना नाम HASHRA DEVI से बदलकर HARSHA DEVI धर्मपत्नी MUKESH BHAIPATEL निवासी G-2, 693-B, फ्रन्टीयर कॉलोनी आदरश नगर, चावला हॉस्पिटल, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान 302004 रख लिया है भविष्य में मुझे HARSHA DEVI के नामसे जाना पहचाना जावें।

अन्तिम अरदास

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय **सरदार राजेन्द्र सिंह जी** का 11.08.2025 को अकाल चलाना हो गया है। जिनकी अन्तिम अरदास 15.08.2025 शुक्रवार को सांय 04:00 से 05:00 बजे जवाहर नगर गुरूद्वारा, मामा का होटल, जयपुर में होगी।
शोकाकुल- ज्ञान कौर (धर्मपत्नी), गुरजीत सिंह-अमनदीप कौर (पुत्र-पुत्रवधु), सर्वजीत सिंह (पुत्र), सुरजीत सिंह (भाई), जसप्रीत कौर, गुरनेक सिंह (पौत्री, पौत्र) एवं समस्त गुरदत्ता परिवार।
9829458728, 8385944994

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय नगरपालिका मंडल मनोहरपुर जिला जयपुर
E-mail : npmanoharpur@rajasthan.gov.in
क्रमांक : न.पा.मनो./भूमि/2025-26/1354 दिनांक : 6.8.2025
प्रारूप-10
(नियम 6(7) देखिये)
लोक सूचना
आवेदनकर्ता श्री रामकिशोर अग्रवाल पुत्र श्री सूरज मल अग्रवाल, निवासी-वार्ड नं. 20 हलवाइयों का मौहल्ला मनोहरपुर, तह. शाहपुरा जयपुर (राज.), ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय प्रयोजनार्थ) उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिभृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
जिला जयपुर तहसील शाहपुरा	मनोहरपुर	1440/3	200 वर्गमीटर	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यकि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिभृति अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुता प्रदान करने और अभिभृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर किसी कार्यालय दिवसपर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त वर्णित समय के भीतर किती आपे के अभाव में यह समझ जावेगा कि किसी को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गई है।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मनोहरपुर

कार्यालय पंचायत समिति भुसावर, भरतपुर (राज.)
पंचायत समिति करौली की ओर से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं
खुले में कचरा ना फेके, बारिश में यह कचरा बहकर जल निकासी को अवरूद्ध करता है।
राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा में लाभ

भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री

सफेदी देवी प्रधान

बहादुर सिंह कोली विधायक भरतपुर
गिर्राज सिंह बुनकर विकास अधिकारी

तीये की बैठक

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बड़े भैया रमेशचंद सैनी पुत्र स्व. श्री मांगीलाल सैनी का स्वर्गवास 13.08.2025 को हो गया. तीये की बैठक शुक्रवार, 15.08.2025 को सायं 4 से 5 बजे तक निज निवास : C-39, कल्याण नगर, NBC स्टाफ कॉलोनी जयपुर पर होगी।
शोकाकुल : मालती सैनी (पत्नी), गंगादेवी (माताजी), जगदीश (काकाजी), शान्तनु (पुत्र), गोपाल, ललित, कैलाश, संजय (भाई), वरुण, हर्षित, आदित्य, प्रिंस, सियाराम (पुत्र) एवं समस्त जैतपुरिया परिवार।

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश जी गुप्ता (ठठेरा) का स्वर्गवास 14.08.2025 को हो गया है। तीये की बैठक 16.08.2025 को सायं 4 से 5 बजे तक कल्याण गार्डन विजयपुरा रोड आगरा रोड जयपुर में होगी।
शोकाकुल: महावीर, शंकरलाल, गोर्वधन (भाई) बजरंग, जगदीश (भतीजे) मनोज, दिलीप, विजय (पुत्र) योगेश, रवि, हेमंत, सौम्य, काव्य, भव्य, मानस, रुदब, ओजस (पौत्र) एवं समस्त टिकर (भालिया) परिवार 9571830027

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन-09/2025/डी-3128
आम सूचना दिनांक:06.08.2025
निजी खातेदारी की योजना बैंक कॉलोनी विस्तार के भूखण्ड संख्या 30ए क्षेत्रफल 200.00 व.ग की लीजडीड दिनांक 10.04.13 को श्रीमती नीतु जैन पत्नी श्री सर्वेश कुमार जैन एवं श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सज्जन कुमार बैठिया के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पुत्र दिनांक 14.07.2017 को श्रीमती नीतु जैन पत्नी श्री सर्वेश कुमार जैन एवं श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री सज्जन कुमार बैठिया द्वारा श्री आशीष सराफ पुत्र के.सी. सराफ को करा दिया गया। तत्पश्चात् उत भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2019 को श्री आशीष सराफ पुत्र के.सी. सराफ द्वारा श्रीमती हेमलता सैनी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार सैनी को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2025 को श्रीमती हेमलता सैनी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार सैनी द्वारा श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार पंचौली एवं श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मुकेश पंचौली को कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है।
अतः निजी खातेदारी की योजना बैंक कॉलोनी विस्तार को भूखण्ड संख्या 30ए का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड जारी किये जाने के सम्बंध. मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध मे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस कि अधीन प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर

आम-सूचना मेरे अभिभाष्य जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह निवासी-मुकाम पोस्ट नादं, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर राज. का पुत्र देवराज सिंह राठौड व पुत्रवधु दीपशिखा शेखावत जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है। मेरे अभिभाष्य द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधु से अपने समस्त रिश्ते खत्म कर दिये गये है एवं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इनसे आज के बाद भविष्य में जो भी संव्यवहार करेगा उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
जयपुर (राकेश कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक 14/08/2025 मो.-9414518839

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरी अभिभाष्य स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में श्री अंशुल जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन एवं श्री विनीत कुमार जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन ने एक मकान नम्बर 85/357, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान को खरीद करने के लिये ऋण लेने हेतु आवेदन किया है। यह कि वर्तमान सम्पत्ति मालिक श्री सेतू मित्तल पुत्र स्वर्गीय श्री योगेन्द्र मित्तल से उक्त सम्पत्ति का एक असल आवंटन पत्र क्रमांक 184 दिनांकित 21.04.1995 गुम गया है, जिसकी गुमशुदगी की रिपार्ट एल.आर. नम्बर 2837064/2025 दिनांक 21.07.2025 को दर्ज करा दी गई है, मिलेन पर सूचित करें तथा उक्त मकान के स्वामित्व एवं मालिकाना हक के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मय दस्तावेज सम्पर्क करें, अन्यथा बाद गुजरने मियाद सभी आपत्तियां शून्य, अभावी एवं अमान्य समझी जावेंगी।
दिनांकः 14.08.2025 SHASHANK TIKKIWAL, Advocate
स्थानः जयपुर Mobile: 9166400777

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा पुत्र गांधी प्रकाश व हमारी पुत्रवधु अनिता निवासी नेहरू कोलोनी, सांभर लेक हमारे अनुशासन व नियंत्रण मे नही है तथा इनका कृत्य व व्यवहार हमारे प्रति सही नही है वह हमारे साथ लडाई झगडा व गाली गलोच करते है और मरने मारने व झुठे मुकदमें करने की धमकियां देते है और हमारी चल अचल सम्पत्ति को लेने हेतु हम पर नाजायज दबाव बनाते है जिससे परेशान होकर हम हमारी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से हमारे पुत्र गांधी प्रकाश व हमारी पुत्रवधु अनिता को उनके समस्त हक, अधिकारों से वंचित / बेदखल करते है तथा सामाजिक रूप से भी इनको हमसे अलग समझा जावे हमारा हमारे पुत्र गांधी प्रकाश व पुत्रवधु अनिता से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है, हमारी प्रतिष्ठा के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई लेनदेन व व्यवहार व किसी प्रकार का असामाजिक कृत्य कारित करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वंय की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नही होगी, सूचित रहें।
गोपाल लाल पुत्र श्री अर्जुनलाल व भूरी पत्नि गोपाल लाल जाति रैंगर निवासी नेहरू कोलोनी, सांभर लेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज.)
मो 9667670073

विवाधर्को के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय... उपखण्ड अधिकारी... स्थान...
कि.रेनवाल... सुरेन्द्र कुमार... विरुद्ध... ओमप्रकाश वगै...
वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 73/2025
नाम ओकारदास पुत्र महादेवदास, उर्मिला पुत्री किशनदास, कमलादेवी पुत्री किशनदास, केशरीदेवी पुत्री किशनदास, किस्तुरीदेवी पुत्री किशनदास, जगदीश पुत्र महादेवदास, नरेन्द्रकुमार पुत्र मदनलाल, प्रेमप्रकाश दाहित्रा किशनदास पुत्र नारायणलाल, प्रेमलता पत्नि मदनलाल, बदरी पुत्र महादेवदास, भागोती पुत्री किशनदास, भूरदास पुत्र मांगीदास, मनोज दोहित्रा किशनदास पुत्र नारायणलाल, मालदास पुत्र गोविन्ददास, मोहनदास पुत्र गीदादास, मोहनदास पुत्र वोदूदास, संतोष पुत्री किशनदास, सुनीता देवी दोहित्री किशनदास पुत्री नारायणलाल, सुशीला पुत्री किशनदास, समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम मूण्डलीरणजीतपुरा हाल निवासी स्वामियो का मोहल्ला तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0, मोहन लाल पुत्र किशनराम जाति स्वामी निवासी सेपटो की ढाणी, बाल्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0, तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 विरूद्ध वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया हैं। आपका इस न्यायालय में तारीख 25/8/25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता हैं। आप न्यायालय मे स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करे।
आपको सूचित किया जाता हैं कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 13/08/25 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया हैं।
मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश, रीडर
उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ रेनवाल
जिला जयपुर ग्रामीण

पूर्व आम सूचना खण्डन मय आम सूचना
मेरे अभिभाष्य श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री भंवर लाल शर्मा निवासी फ्लेट नं0 टी-284 मंगोली गार्डन,कल्कपुरा,जयपुर राजस्थान (मो0 9829061552) के पुत्र मास्तर शर्मा के तत्समय व्यवसा एवं आचरण एवं उपन्न परिस्थितियों के कारण व्यथित व मजबूर लेकर मेरे अभिभाष्य ने अधिवक्ता श्री हितेश कुमार सिंसल के जरिये उक्त पुत्र को सम्पत्ति से बेदखल किये जाने आदि की आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 10.04.2021 ईस्वी को कराया गया था जिसका मेरे अभिभाष्य के कथना व निर्देशानुसार खण्डन किये जाने के साथ ही उसे अप्रभावी घोषित किया जाता है तथा इस सूचना को जरिये जाहि किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य का उक्त पुत्र मेरे व मेरी अभिभाष्य की धर्मपत्नी की सेवा सुश्रुषा का रख है और हिन्दू विधि व परम्परा अनुसार उक्त मास्तर शर्मा मेरे व मेरे अभिभाष्य की धर्मपत्नी की सम्पतियों में वारिस लेने के नाते कानूनन हक व अधिकार रखता है।
(N.S. "ADITYA-SHIVANSH"-R-1171/97)
RAJASTHAN HIGH COURT, JAIPUR
(N.S. "ADITYA SHIVANSH",
ASSOCIATE, ADVOCATES & LAW CONSULTANTS)
दिनांक 15.08.2025 Mobile No. 9785105424

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6314 दिनांक-14/08/25
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 232/11 (MIG-A) (एरिया 00.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री कुसुमी कविता खोईवाल पुत्री स्व. श्री कानिलाल खोईवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3663 दिनांक 02.11.2007 को जारी किया गया। कुसुमी कविता खोईवाल के पक्ष मे उक्त आवास के एजीपत्र इस दिनांक 27.11.2008 को उप पंजीयक जयपुर अपना के पक्ष पंजीकृत करवाये गये। कुसुमी कविता खोईवाल द्वारा श्री पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल गुप्ता को दिनांक 08.01.2015 को मुख्यारनामा आम शाफ्त निपुक्त किया गया। श्री पुरूषोत्तम गुप्ता द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 09.04.2015 को द्वारा श्री नन्द कुमार भारद्वाज पुत्र श्री कनवारी लाल भारद्वाज को विक्रय कर उप पंजीयक खतुई जयपुर के पक्ष विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री नन्द कुमार भारद्वाज द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.10.2019 के द्वारा श्री राहुल चौहान पुत्र श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती प्रिया चौहान पत्नी श्री राहुल चौहान को विक्रय कर उप पंजीयक अध्यक्ष मानसरोवर, जयपुर के पक्ष विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री राहुल चौहान एवं श्रीमती प्रिया चौहान के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 9577 दिनांक 23.01.2020 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री राहुल चौहान एवं श्रीमती प्रिया चौहान द्वारा उक्त आवास को दिनांक 30.04.2025 के द्वारा Shri Veer Teja Real Estate And Developers Pvt. Ltd. जरिये श्री हजारी लाल चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास के रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / व्यवसाय को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानी हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी की कोई आपत्ति नही है, Shri Veer Teja Real Estate And Developers Pvt. Ltd. जरिये श्री हजारी लाल चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6287 दिनांक-15/08/25
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 171/15 (HIG), एरिया 190.57 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती सलमा डूँगर पत्नी स्व. श्री मस्तर खिर के पक्ष मे उक्त आवास के क्रमांक 203 दिनांक 26.04.2006 को जारी किया गया। श्रीमती सलमा डैगर पत्नी स्व. श्री मस्तर खिर के पक्ष मे उक्त आवास के एजीपत्र इस दिनांक 06.10.2006 को उप पंजीयक जयपुर अपना के पक्ष मे पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती सलमा डूँगर द्वारा उक्त आवास दिनांक 26.05.2010 को 1. प्रमोद वर्मा, 2. जगदीश वर्मा पुत्र श्री रामनारायण वर्मा के पक्ष विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। 1. प्रमोद वर्मा, 2. जगदीश वर्मा पुत्र श्री रामनारायण वर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 04.04.2014 को मुख्यारनामा आम शाफ्त निपुक्त किया गया। इस प्रकार तीनो आवंटी 1. प्रमोद वर्मा, 2. जगदीश वर्मा पुत्र श्री रामनारायण वर्मा, जयपुर के पक्ष विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। इसी बीच Shri Veer Teja Real Estate And Developers Pvt. Ltd. जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामनाथ चौधरी को विक्रय कर उप पंजीयक अध्यक्ष